प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ....306/22..........दिनांक..........3/8/2022..........
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं....**7,7ए भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018......**
   (2) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....120बी. भा.द.सं. ....
3. (क) घटना का दिन :– **04.07.2020**
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 14.07.2020 समय :– –
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....52.......... समय..........5:00 P.M...........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) चौकी से दिशा एवं दूरी – **पूर्व एवं 55 किलोमीटर**
   बीट संख्या..............................जुरामदेही सं..............................
   (ख) पता:– **ग्राम तलवास, तहसील नैंनवा, जिला बूंदी, राजस्थान।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
1. (क) नाम :– **श्री पीयूष शर्मा जाति ब्राह्मण**
   (ख) पिता का नाम :– **श्री दिनेश शर्मा**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **24 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या..........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– **निवासी ग्राम तलवास तहसील नैंनवा, जिला बूंदी हाल निवासी सेठ जी का चौक, शीतला गली, बूंदी थाना कोतवाली जिला बूंदी (राज.)**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   (1) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री संगतराम जाति बावरी उम्र 30 साल निवासी 7 एम.एल.डी. (बी) मलकेवाली, तहसील नई मण्डी घडसाना जिला गंगानगर हाल पटवारी, पटवार मण्डल तलवास तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
   (2) श्री रामप्रकाश (प्राइवेट व्यक्ति)
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – **4000 रूपये** ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..............................
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

परिवादी श्री पीयूष शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 24 साल निवासी ग्राम तलवास तहसील नैंनवा जिला बूंदी हाल निवासी सेठ जी का चौक, शीतला गली, बूंदी थाना कोतवाली जिला बूंदी द्वारा कार्यालय में प्रेषित शिकायत में तथ्य अंकित किये गये है कि – " हमारे परिवार की कृषि भूमि ग्राम तलवास में स्थित है जो कि मेरे पिता श्री दिनेश शर्मा व दादी श्रीमती सुशीला शर्मा के नाम पर है। उक्त भूमि के खसरा संख्या 6,7,8,9,10,87,88,89,90 कुल 27 बीघा 14 बिस्वा के सीमा ज्ञान के लिये मैंने पिता का आवेदन उप तहसीलदार देई को दिया था। 02 जुलाई को पटवार मण्डल देई में मैं कानूनगो साहब से भी मिला था। वही पर पटवारी विनोद भी बैठा हुआ था। वहां पटवारी विनोद ने मुझसे कहा कि सीमा ज्ञान के लिये कानूनगो साहब की फीस 5 हजार रूपये है जो तुमको देने पडेगें।

दिनांक 04.07.2020 को तलवास पटवारी विनोद, उसका सहयोगी रामप्रकाश सीमा ज्ञान के लिये आये। तलवास पटवारी विनोद ने कहा कि सीमा ज्ञान तभी होगा, जब 5 हजार रूपये दोगे। जब मैंने रूपये देने में असमर्थता जताई तो कानूनगो साहब का नाम लेते हुये सीमा ज्ञान से ही मना कर दिया। उस समय हमारे परिवार व पिताजी के प्रतिनिधि के रूप में मैं ही उपस्थित था। मेरे बहुत आग्रह करने के बाद भी पटवारी अड़ गया कि 4 हजार रूपये तो देने ही पडेगें। जब मैंने 4 हजार रूपये देने की हां भरी, तभी उन्होंने सीमा ज्ञान शुरू किया। सीमा ज्ञान के बाद पटवारी व दलाल ने कहा कि अभी थोडा आगे चलते है वहां पर रूपये दे देना। सीमा

ज्ञान के बाद वहां से मोटरसाइकिल हीरो डीलक्स आर.जे. 13 एफएस 0204 से जिसे चेहरे पर मास्क लगाकर पटवारी विनोद चला रहा था और साथ मैं जो दलाल पीछे बैठा हुआ था उसे पटवारी बार–बार रामप्रकाश के नाम से पुकार रहा था। दोनो आगे रवाना हुये और कुछ देर बाद मैं पीछे मोटरसाइकिल पर आया। कुछ दूर जाकर पटवारी विनोद ने मोटरसाइकिल रोक दी, मैंने भ्रष्टाचारी पटवारी को सबक सिखाने की ठानी और रूपये देने का मैंने मोबाईल से ऑडियों और विडियों भी बनवा लिया। रूपये देने के बाद इन्होंने मुझे सीमा ज्ञान मौका मुआयना के लिये खाली कागज गवाहों के हस्ताक्षर करने के लिये दिया, जो विडियों में भी स्पष्ट आ रहा है। राजकीय सेवा नियमों का उल्लघंन करते हुये पटवारी ने कानूनगो का नाम लेते हुये दलाल के साथ मिलकर भूमि की सीमा ज्ञान के लिये अवैध रूप से रिश्वत लेने का अपराध किया है, जांच की जावें।''

उक्त शिकायत के सन्दर्भ में ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से आर.नं. 3494 दिनांक 17.08.2020 पंजीबद्ध होकर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुये। शिकायत के सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री पीयूष शर्मा, गवाह श्री मूरली नागर, श्री सांवरा बिहारी शर्मा, श्री चन्द्रमोहन शर्मा के बयान लेखबद्ध किये गये। परिवादी द्वारा शिकायत के सलग्न पेश ऑडियो व विडियो सीडी को सुना व देखा जाकर परिवादी पीयूष शर्मा से पहचान करवायी गयी एंव फर्द विडियो पहचान मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। ऑडियो रिकार्डिगं में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी पीयूष शर्मा से धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा अपनी जमीन की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 की प्रति पेश करने पर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री विनोद कुमार पटवारी को तलब कर बयान स्पष्टीकरण लिया गया। परिवादी द्वारा पेश रिकार्ड वार्ता से आरोपी विनोद कुमार पटवारी की आवाज का मिलान/परीक्षण बाबत नमूना आवाज पेश करने बाबत नोटिस दिया गया तो आरोपी विनोद कुमार ने अपने लिखित प्रत्युतर में अपनी आवाज का नमूना देने से मना कर दिया, जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया।

आरोपी श्री विनोद कुमार पटवारी ने अपने बयान स्पष्टीकरण में बताया कि –''मैं जनवरी 2019 से पटवारी भर्ती से भर्ती होकर मेरी पहली पोस्टिंग पटवार मण्डल तलवास तहसील नैंनवा जिला बूंदी में हुई थी। तलवास पटवार मण्डल में देवपुरा, तलवास, सांगोदा, रासहाली, भंवरखोल, नयागांव, गुदली, फुलेता आदि गांव आते है। मेरा मुख्यालय तलवास ही है तथा वर्तमान में भी तलवास ही लग रहा हूँ। पीयूष शर्मा तलवास का रहने वाला है। सन् 2020 में पीयूष शर्मा ने अपनी नयागांव स्थित जमीन का सीमाज्ञान करवाने हेतु नायब तहसीलदार करवर के आवेदन करने पर आवेदन मेरे पास प्राप्त हुआ था। उसके बाद दिनांक 04.07.2020 को मैंने पीयूष के खेत पर जाकर सीमाज्ञान किया था। पीयूष के साथ दो–तीन लोग और भी थे, जिनको मैं नही जानता हूँ। प्रत्येक पटवार मण्डल में पटवारी का सहयोगार्थ होता है। मेरे साथ रामप्रकाश भी था। मैं रामप्रकाश को 3500 रू मेहनताना देता था। रामप्रकाश ने मेरे पास 2–3 महिने काम किया था। सीमा ज्ञान की एवज में मैंने 400 या 600 रू की नियामनुसार रसीद काटी थी। इसके अलावा रामप्रकाश ने पीयूष से सीमा ज्ञान के पहले व बाद में लेन–देन की क्या बात की थी, मुझे जानकारी नही है। मैं जाने लगा तो रामप्रकाश भी मेरे साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, उस समय पीयूष ने खर्चा पानी का नाम लेकर रामप्रकाश को कितने पैसे दिये मुझे पता नही है। मैंने सीमा ज्ञान की एवज में कोई रिश्वत नही ली थी, मात्र सीमा ज्ञान के लिये शुल्क रसीद 400 या 600 रू काटकर रूपये लिये थे। शुल्क क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाता है अब मुझे याद नही है कि 400 रू या 600 रू की रसीद काटी थी, लेकिन रसीद 400 या 600 रू की ही काटी थी। पीयूष व रामप्रकाश के आपसी उधारी या लेन–देन बकाया का क्या मामला है मुझे पता नही है। रामप्रकाश अभी मेरे साथ नही रहता है। उस दिन कोई आदमी नही होने के कारण मैं रामप्रकाश को साथ ले गया। रामप्रकाश मीणा के पिताजी का नाम राजाराम तथा मरा गांव थाना देई का रहने वाला है। रामप्रकाश के मोबाईल नम्बर 8769411766 है।

आरोपी श्री विनोद कुमार पटवारी के बयान स्पष्टीकरण का खण्डन– ''आरोपी द्वारा परिवादी के बताये कथनानुसार दिनांक 04.07.2020 को अपने सहयोगी रामप्रकाश (प्राईवेट व्यक्ति) के साथ सीमाज्ञान करना स्वीकार किया हैं। सीमाज्ञान शुल्क 400 या 600 रूपये निर्धारित होने के बावजूद परिवादी से आरोपी विनोद कुमार पटवारी के सहयोगी रामप्रकाश द्वारा आरोपी की मौजुदगी में रिश्वत के रूप में 4000 रूपये लिये गये है तथा पैमाइश की रसीद शुल्क के रूपये

500 रूपये अलग से देने का उल्लेख है, जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट से होती है। अतः आरोपी द्वारा पेश किया गया स्पष्टीकरण मनगढत है।

फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी विनोद कुमार पटवारी व उसके सहयोगी रामप्रकाश मीणा (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी से उसकी जमीन की पैमाइश की एवज में 4000 रूपये मांग कर प्राप्त की गई है। जिसकी पुष्टि मौके पर उपस्थित चश्मदीद गवाह श्री मूरली नागर, श्री सांवरा बिहारी शर्मा, श्री चन्द्रमोहन शर्मा के द्वारा भी अपने–अपने बयानों में की है। आरोपी विनोद कुमार द्वारा स्वयं की आवाज का नमूना देने से मना कर दिया है। इस प्रकार अब तक की जांच से आरोपी विनोद कुमार द्वारा अपने सहयोगी रामप्रकाश के मार्फत परिवादी से 4000 रूपये रिश्वत लेना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिकायत में अंकित तथ्यों के सम्बंध में जांच से पाया गया कि परिवादी श्री पीयूष शर्मा के पिता श्री दिनेश शर्मा व दादी श्रीमती सुशीला शर्मा के नाम ग्राम नयागांव पटवार हल्का तलवास में खसरा संख्या 6,7,8,9,10,87,88,89,90 कुल 27 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सन् 2020 में उपरोक्त खसरान की भूमि का सीमा ज्ञान करवाने हेतु परिवादी पीयूष शर्मा के पिता की ओर से नायब तहसीलदार करवर को प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र सीमा .ज्ञान हेतु सम्बंधित पटवारी, पटवार हल्का तलवास श्री विनोद कुमार को प्राप्त हुआ। दिनांक 04.07.2020 को श्री विनोद कुमार पटवारी, पटवार हल्का तलवास अपने सहयोगी रामप्रकाश के साथ परिवादी की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करने मौके पर आया और परिवादी से सीमा ज्ञान करने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग की गई, परिवादी द्वारा रूपये कम करने की बात कहने पर 4000 रूपये लेकर सीमा ज्ञान करने के लिये तैयार हो गया। उसके उपरांत परिवादी की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान किया जाकर वापस जाने के लिये सडक पर आ गये, वहां पर गवाह श्री सांवरा बिहारी शर्मा, चन्द्र मोहन शर्मा, मुरली नागर आदि भी मौजूद थे। श्री विनोद कुमार पटवारी अपनी मोटरसाइकिल हीरो डीलक्स आर.जे. 13 एफएस 0204 को चला रहा था तथा उसका सहयोगी रामप्रकाश पीछे बैठा हुआ था तभी मोटरसाइकिल को रोक कर परिवादी पीयूष शर्मा से बातचीत करके पटवारी विनोद कुमार के कहेनुसार रामप्रकाश द्वारा परिवादी से 4000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये गये। घटना की ऑडियों व विडियों रिकार्डिंग से भी उक्त रिश्वत लेन–देन के तथ्य की पुष्टि हो रही है।

इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत, बयान परिवादी व गवाहान, फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत लेन–देन, परिवादी द्वारा पेश ऑडियों व विडियों रिकार्डिंग सीडी आदि की विवेचना से पाया गया है कि परिवादी श्री पीयूष शर्मा से उसकी कृषि भूमि के सीमा ज्ञान करने की एवज में आरोपी श्री विनोद कुमार पटवारी एवं उसके सहयोगी रामप्रकाश (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिलीभगत कर 4000 रूपये बतौर रिश्वत मांग कर प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

शिकायत के सत्यापन से आरोपीगण 1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री संगतराम जाति बावरी उम्र 30 साल निवासी 7 एम.एल.डी. तहसील घडसाना जिला गंगानगर हाल पटवारी, पटवार मण्डल तलवास तहसील नैंनवा जिला बूंदी एवं 2. श्री रामप्रकाश (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 120बी. भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रनिब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिला बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120बी भा.दं.सं. में आरोपीगण 1. श्री विनोद कुमार, पटवारी, पटवार मण्डल तलवास, तहसील नैनवा, जिला बूंदी एवं 2. श्री रामप्रकाश (प्राईवेट व्यक्ति)के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 306/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2681-85 दिनांकः- 3.8.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बून्दी।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

3.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।